UPMT010040062025

न्यायालय:-अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।
सिविल अपील संख्या-25/2025
श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम वेदपाल आदि

14.03.2026

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। पक्षकार उपस्थित आये।

प्रार्थी/अपीलांट की ओर से प्रार्थनापत्र 25 क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त सिविल अपील विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक–04.02.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से अपीलार्थी/वादिनी का दावा आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के तहत अस्वीकृत कर दिया गया था, चूंकि उक्त मुकदमें के पक्षकार आपस में एक ही परिवार के लोग हैं। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी/वादिनी स्वयं के अधिकार प्रश्नगत आराजी में बैनामा दिनांक–05.04.2006 के आधार पर क्लेम करती है तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 ता 4 प्रत्यर्थी संख्या–1 से स्वयं के पक्ष में कराया गया बेनामा दिनांक–19.08.2021 के माध्यम से क्लेम करते हैं। विवाद निपटाने की गरज से यह तय पाया गया कि प्रत्यर्थी सं०–2 ता 4 द्वारा प्रत्यर्थी सं०–1 से प्रश्नगत आराजी के संदर्भ में कराया गया बैनामा दिनांक–19.08.2021 वैधानिक माना जावेगा तथा अपीलार्थी/वादिनी के पक्ष में हुआ बैनामा शून्य, अप्रभावी ट्रीट होगा, ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त कथनों के आधार पर वापस लेते हुए अपील को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है।

प्रत्यर्थी की ओर से कोई आपत्ति न होने का इन्द्राज किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अपीलार्थी/वादिनी की ओर से 25 क प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उक्त सिविल अपील को वापस लिये जाने की याचना की गयी है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 25 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 25 क स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत सिविल संख्या–25/2025 श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम वेदपाल आदि अपीलार्थी/वादिनी द्वारा बल न दिये जाने/नोटप्रेस किए जाने के आधार पर निरस्त की जाती है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(राम किशोर पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।
ID No. UP 6052

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.04.15 12:33:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court